



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

मतदाता जानकारी पुस्तिका

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

PATRICE Y. LATTIMORE, सिटी क्लर्क द्वारा संकलित

★ आम नगरपालिका चुनाव ★
मंगलवार, 3 नवंबर 2026

**चुनाव संबंधी जानकारीयों के लिए कृपया
1-888-873-1000 पर कॉल करें**

**सिटी ऑफ़ Los Angeles मतदाता जानकारी अंग्रेजी के साथ-
साथ निम्नलिखित भाषाओं में भी प्रदान करता है:**

**Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար
զանգահարեք 1-888-873-1000 հեռախոսահամարով:**

**要索取本手册的中文版・
請致電 1-888-873-1000**

**برای تهیه‌ی نسخه‌ای از این جزوه به زبان فارسی، با شماره تلفن
1-888-873-1000 تماس بگیرید**

**हिन्दी में इस पैम्फलेट की प्रति प्राप्त करने के लिए,
1-888-873-1000 पर फोन करें**

**このパンフレットの日本語版をご希望の方は、
1-888-873-1000までお電話ください。**

**ដើម្បីទទួលបានឯកសារចម្លងមួយច្បាប់ពីកូនសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរ
សូមហៅទូរស័ព្ទលេខ 1-888-873-1000**

**이 팸플릿을 한국어로 원하시면 다음 전화번호로
연락하십시오. 1-888-873-1000**

**Для получения копии данной брошюры на русском
языке позвоните по номеру 1-888-873-1000.**

**Para obtener una copia de este folleto en español,
llame al 1-888-873-1000**

**Para makakuha ng kopya ng pamplet na ito sa Tagalog,
tumawag sa 1-888-873-1000**

**เพื่อขอสำเนาจุลสารนี้ในภาษาไทย โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข
1-888-873-1000**

**Muốn có một tập sách này bằng tiếng Việt, hãy gọi số
1-888-873-1000**

विषय सूची

	पृष्ठ
मतपत्र का सारांश	3
मतपत्र विधेयक, तर्क, और पाठ	
चार्टर संशोधन SC	4

मतदाता जानकारी

Los Angeles के काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क, सिटी ऑफ़ Los Angeles नगरपालिका चुनाव के प्रशासक हैं।

इस पुस्तिका में केवल 3 नवंबर 2026 को होने वाले आम नगरपालिका चुनाव के लिए LAUSD के मतपत्र विधेयक से संबंधित जानकारी दी गई है।

मतदान केन्द्रों जैसी चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए, कृपया LA काउंटी से (800) 815-2666 पर संपर्क करें या www.lavote.gov पर उनकी वेबसाइट पर जाएं।

अगले पृष्ठ में LAUSD के मतपत्र विधेयक का सरलीकृत संस्करण है। इस विधेयक का पूरा पाठ, अन्य जानकारी के साथ, मतपत्र सारांश के बाद मुद्रित किया जाता है (विषय सूची पृष्ठ देखें)।

शीर्षक:

शिक्षा बोर्ड के चुनावों से संबंधित चुनावी वित्त के नियम।

विषय:

क्या Los Angeles सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए चुनावी वित्त के नियमों को स्पष्ट किया जा सके और अध्यादेश द्वारा इन नियमों में परिवर्तनों की अनुमति दी जा सके?

स्थिति:

इस चार्टर में शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार वित्त संबंधी नियम शामिल हैं। इस चार्टर में मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार वित्त संबंधी नियम भी शामिल हैं। नियमों के ये दोनों समूह काफी हद तक समान हैं, लेकिन चार्टर के अलग-अलग हिस्सों में हैं।

प्रस्ताव:

इस विधेयक के तहत बार-बार दोहराई जाने वाली भाषा को हटा दिया जाएगा और कुछ अपवादों को छोड़कर, मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू होने वाले अभियान वित्त संबंधी नियम शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे। इस विधेयक से नगर परिषद को अध्यादेश के माध्यम से अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति भी मिल जाएगी।

एक हाँ वोट का मतलब है:

आप चार्टर से दोहराव वाली भाषा को हटाना चाहते हैं, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान वित्त नियमों को स्पष्ट करना चाहते हैं, और नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति देना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:

आप चार्टर से दोहराव वाली भाषा को हटाना नहीं चाहते, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान वित्त नियमों को स्पष्ट करना नहीं चाहते, या नगर परिषद को अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त परिवर्तन अपनाने की अनुमति नहीं देना चाहते।

इस विधेयक का पूरा पाठ पृष्ठ 7 पर शुरू होता है।

क्या Los Angeles सिटी चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए चुनावी वित्त के नियमों को स्पष्ट किया जा सके और अध्यादेश द्वारा इन नियमों में परिवर्तनों की अनुमति दी जा सके?

निष्पक्ष सारांश

SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी चार्टर की धारा 803 में चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना होगा। सिटी चार्टर की धाराएँ 470 और 471 तथा Los Angeles नगरपालिका की संहिता का अनुच्छेद 9.7, चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम निर्धारित करते हैं, जिनका पालन मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना होगा। ये नियम 1974 के California राजनीतिक सुधार अधिनियम के पूरक हैं। चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियम शिक्षा बोर्ड और मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए समान हैं, लेकिन वे सिटी चार्टर के साथ-साथ Los Angeles नगरपालिका की संहिता के विभिन्न भागों में निहित हैं।

यह विधेयक शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियमों को स्पष्ट करेगा, जिसके लिए सिटी चार्टर में संशोधन करके चार्टर की धारा 803 में दोहराव वाली भाषा को हटाया जाएगा और शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि सिटी चार्टर की धारा 470 और 471 और Los Angeles नगरपालिका की संहिता के अनुच्छेद 9.7 में निर्दिष्ट है। यह विधेयक मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू उन्हीं प्रावधानों को शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी लागू करेगा, लेकिन उन प्रावधानों को छोड़कर जो केवल शहर के निर्वाचित पदों, जैसे मेयर के पद, के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। इसमें शहर के ठेकेदारों और लॉबिस्टों से प्राप्त चुनावी योगदान पर लागू सीमाएँ भी शामिल नहीं होंगी।

यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है, तो शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों और मेयर पद के उम्मीदवारों दोनों के लिए चुनाव प्रचार के मौजूदा नियम इस प्रकार होंगे:

- उम्मीदवारों और उनके दानदाताओं पर समय-समय पर समायोजित की जा सकने वाली योगदान सीमाएँ लागू होंगी। इन सीमाओं की आधार राशि किसी भी एक निर्वाचित पद के लिए \$1,000 होगी। हालाँकि, उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव अभियान में व्यक्तिगत धनराशि देने पर कोई सीमा नहीं होगी;
- कोष और वित्तीय जवाबदेही संबंधी आवश्यकताएँ, जैसे प्रशिक्षण, दस्तावेज़ जमा करने की समय-सीमाएँ, सार्वजनिक प्रकटीकरण, निगरानी वाले चुनाव अभियान खाते और छोटे-मोटे खर्चों के लिए नकद राशि;
- योगदान और खर्च पर समय-सीमाएँ, जिनमें धन जुटाने की अवधि तथा उन अवधियों के दौरान प्राप्त धनराशि के अनुमत उपयोग शामिल हैं; और
- शहर नैतिकता आयोग की लेखापरीक्षण और जाँच संबंधी शक्तियाँ, जिनमें आपराधिक और दीवानी प्रवर्तन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

इस विधेयक के तहत अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंध या छूट निर्धारित की जा सकेगी।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण

MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला (LAUSD) शिक्षा बोर्ड के लिए चुनाव प्रचार के वित्त संबंधी मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करता है, जिसमें स्कूल बोर्ड के उम्मीदवारों पर भी वही प्रावधान लागू होते हैं जिनका पालन सिटी ऑफ़ Los Angeles के मेयर पद के उम्मीदवारों को करना होता है। LAUSD शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर योगदान और धन जुटाने से संबंधित कुछ प्रावधान (धाराएँ 470(c)(11) और 470(c)(12)), सार्वजनिक मिलान निधि से संबंधित प्रावधान (धारा 471) तथा अध्यादेश द्वारा दी गई अन्य छूटों से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस विधेयक से शहर की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

चार्टर संशोधन SC के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन SC पर हॉ में मतदान करें

सिटी ऑफ़ Los Angeles, Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए अभियान के वित्त संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य करता है - जैसे योगदान की सीमाएँ, दानदाताओं की जानकारी का खुलासा और शहरी नैतिकता आयोग द्वारा निगरानी। ये नियम LAUSD शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे शहर के अन्य निर्वाचित पदों के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं।

अंतर नियमों में ही निहित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे नियम सिटी चार्टर में कहाँ दिखाई देते हैं। आज, शिक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों को नियंत्रित करने वाले नियम सिटी चार्टर के एक अलग खंड में निर्धारित किए गए हैं। वे चार्टर के उस खंड में नहीं बल्कि अपने आप में अलग से दिखाई देते हैं जो मेयर जैसे अन्य निर्वाचित पदों के उम्मीदवारों को नियंत्रित करता है।

चार्टर संशोधन SC एक सुशासन सुधार है जो चार्टर को सरल बनाता है और नौकरशाही की अनावश्यकता और निरर्थकता को कम करता है। यह शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए अभियान के वित्त संबंधी दोहराव वाले प्रावधानों को समाप्त करता है और स्पष्ट करता है कि वे उम्मीदवार अभियान के उसी सामान्य वित्तीय ढांचे के अधीन हैं जो पहले से ही मेयर पद के उम्मीदवारों को नियंत्रित करता है।

यह सुशासन की दिशा में एक स्पष्ट सुधार है और इसी वजह से इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

चार्टर संशोधन SC पर हॉ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन SC के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

ADRIN NAZARIAN

Los Angeles नगर परिषद सदस्य, जिला 2

NICK MELVOIN

LAUSD बोर्ड सदस्य

DIEGO ANDRADES

पूर्व चार्टर सुधार आयुक्त

CALIFORNIA COMMON CAUSE

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF GREATER

LOS ANGELES

इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क दाखिल नहीं किया गया था।

छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरकर्ता के नाम के नीचे दिया गया शीर्षक केवल पहचान के उद्देश्य से है और यह इंगित नहीं करता है कि व्यक्ति संगठन की ओर से हस्ताक्षर कर रहा है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर धाराओं से मिटाए गए शब्दों को स्ट्राइकआउट टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन SC
(LAUSD चुनावों से संबंधित कैम्पेन वित्त नियम)

प्रस्तावित मतपत्र विधेयक का पाठ

धारा 1. शिक्षा मण्डल के सदस्यों के चुनाव के संबंध में Los Angeles शहर के चार्टर की धारा 803 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

धारा 803. बोर्ड सदस्यों का चुनाव।

Los Angeles एकीकृत स्कूल जिला के शिक्षा मण्डल के सदस्यों का चुनाव चार्टर की धारा 400 से 440 और चार्टर के अनुरूप लागू अध्यादेशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मण्डल के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कोई व्यक्ति कितना चंदा दे सकता है या उपलब्ध करा सकता है, इस पर सीमाएँ लगाकर राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों पर वही कैम्पेन वित्त प्रावधान लागू होंगे जो मेयर पद के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं, जिनमें धारा 470 और धारा 470(c) या चार्टर की अन्य धाराओं के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश शामिल हैं, सिवाय इसके कि शिक्षा मण्डल के उम्मीदवार धारा 470(c)(11) और 470(c)(12) में अंशदान और धन उगाहने से संबंधित प्रावधानों, धारा 471 में सार्वजनिक मैचिंग निधि से संबंधित प्रावधानों और अध्यादेश द्वारा अन्यथा छूट प्राप्त प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे। शिक्षा मण्डल के सदस्यों के चुनाव पर निम्नलिखित कैम्पेन वित्त प्रावधान लागू होते हैं। यह धारा 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम की पूरक है।

(a) परिभाषाएँ

(1) “आदेशित” का अर्थ निम्नलिखित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसे निम्नलिखित तरीके से माना जाएगा:-

(A) किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति द्वारा आदेशित व्यय स्वतंत्र व्यय नहीं है और इसे व्यय का आदेश देने वाले उम्मीदवार या समिति को दिया गया अंशदान माना जाएगा। भुगतान को तब आदेशित माना जाता है यदि इसे इस प्रकार किया जाता है:-

(i) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के अनुसंधान या सुझाव पर;

(ii) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के साथ मिलकर, उनके सहयोग से, या उससे परामर्श करके; या

(iii) उम्मीदवार, समिति, या उम्मीदवार या समिति के एजेंट के बीच किसी भी व्यवस्था, समन्वय या निर्देश के तहत।

(B) निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यय का बिना किसी सीमा के आदेश दिया जाता है:-

(i) किसी उम्मीदवार द्वारा व्ययकर्ता द्वारा वित्तपोषित संचार के निर्माण या डिजाइन में सक्रिय भागीदारी या सहभागिता, जिसमें व्ययकर्ता और उम्मीदवार के बीच सामग्री के बारे में परामर्श शामिल है;

(ii) व्ययकर्ता द्वारा अनुसंध करना और/या उम्मीदवार द्वारा संचार में उपयोग के लिए विशेष रूप से सामग्री उपलब्ध करना या संचार में विशिष्ट सामग्री को शामिल करने के लिए उम्मीदवार की सहमति प्राप्त करना; या

(iii) संचार में प्रयुक्त किसी भी सामग्री की तैयारी के लिए उम्मीदवार के साथ व्यवस्था करना।

(C) यह खंडन योग्य धारणा है कि कोई व्यय आदेशित है, और इसलिए स्वतंत्र नहीं है, यदि:-

(i) यह प्रभावित उम्मीदवार के किसी भी एजेंट या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के सदस्य द्वारा या उसके माध्यम से वर्तमान कैम्पेन में उसकी भागीदारी के दौरान किया गया हो;-

(ii) जिस चुनावी चक्र के दौरान व्यय किया जाता है, उस दौरान व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट और जिस उम्मीदवार की ओर से व्यय किया जाता है, दोनों गैर-मंत्रालयी, कैम्पेन-संबंधी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही व्यक्ति या संस्था को नियुक्त करते हैं (गैर-मंत्रालयी, कैम्पेन संबंधी पेशेवर सेवाओं में ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:- मतदान या अन्य कैम्पेन अनुसंधान, मीडिया परामर्श या उत्पादन, प्रत्यक्ष मेल परामर्श और धन-उगाहना);-

(iii) व्यय किसी ऐसे संचार को वित्तपोषित करता है जो प्रभावित उम्मीदवार, उसकी समिति या एजेंट द्वारा डिजाइन किए गए, निर्मित, भुगतान या वितरित किए गए प्रसारण, लिखित, ग्राफिक या अन्य प्रकार की कैम्पेन सामग्री की पूर्ण या पर्याप्त रूप से नकल, पुनरुत्पादन, पुनर्प्रकाशन, वितरण या प्रसार करता है;-

(iv) व्यय किसी उम्मीदवार की कैम्पेन योजनाओं, परियोजनाओं या आवश्यकताओं के बारे में ऐसी जानकारी पर आधारित है जो आम तौर पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं है; या उस उम्मीदवार, समिति या उनके एजेंटों द्वारा व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई जानकारी पर इस व्यक्त या निहित समझ के साथ आधारित है कि व्यय पर विचार किया जा रहा था;-

(v) व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट, व्ययकर्ता द्वारा वित्तपोषित संचार की सामग्री, समय, स्थान, माध्यम, लक्षित दर्शक, वितरण की मात्रा या प्लेसमेंट की बारंबारता पर उस उम्मीदवार के साथ चर्चा या बातचीत करता है जिसके चुनाव या नामांकन की वकालत व्ययकर्ता द्वारा की जाती है या जिसके प्रतिद्वंद्वी की हार की वकालत व्ययकर्ता द्वारा की जाती है;-

(vi) जिस चुनावी चक्र के दौरान व्यय किया जाता है, उस दौरान व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट उम्मीदवार के कैम्पेन में किसी औपचारिक कार्यकारी, नीति-निर्माण या सलाहकार पद पर कार्यरत है या कार्य कर चुका है, या उस उम्मीदवार के नामांकन या पद के चुनाव के प्रसार से संबंधित रणनीतिक या नीति-निर्माण संबंधी चर्चाओं में भाग ले चुका है, और उम्मीदवार उस उम्मीदवार के रूप में उसी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है जिसके नामांकन या चुनाव को व्यय प्रभावित करने के लिए अभिप्रेत है;-

(vii) व्यय उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों द्वारा उम्मीदवार की ओर से व्यय के लिए व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट से अनुसंध के बाद किया जाता है; या

(viii) व्यय उम्मीदवार और व्ययकर्ता या व्ययकर्ता के एजेंट द्वारा सह-प्रायोजित धन उगाहने वाले कार्यक्रमों या कैम्पेन की गतिविधियों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप किया जाता है।

(D) किसी व्यय को केवल तभी आदेशित नहीं माना जाएगा जब:-

(i) कोई व्ययकर्ता या व्ययकर्ता का एजेंट किसी उम्मीदवार का विधायी या नीतिगत पदों या व्ययकर्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर साक्षात्कार करता है या उम्मीदवार के साथ कैम्पेन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे कि मंच, मतदान संबंधी जानकारी, कौन से संगठन उम्मीदवार का समर्थन करते हैं और कौन से संगठन उसके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करते हैं, या उन सलाहकारों की पहचान जिन्हें उम्मीदवार द्वारा नियुक्त करने की योजना रखता है, बशर्ते कि उस जानकारी के आधार पर बाद में व्यय करने से पहले, व्ययकर्ता या उसके एजेंट ने व्यय के संबंध में उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति या उनके एजेंटों के साथ संवाद न किया हो:-

(ii) व्ययकर्ता उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों से एक फोटोग्राफ, जीवनी, स्थिति पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, या इसी तरह की सामग्री मांगता है और/या प्राप्त करता है और उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उनके एजेंटों की पूर्व जानकारी, नियंत्रण या भामीदारी के बिना, बाद में उस जानकारी का उपयोग उम्मीदवार के समर्थन में या उसके प्रतिद्वंद्वी के विरोध में एक संचार तैयार करने के लिए करता है या उसे शामिल करता है:-

(iii) व्ययकर्ता ने उम्मीदवार को पूर्व में अंशदान दिया था:-

(iv) व्ययकर्ता उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या इनमें से किसी के भी एजेंट को इस धारा के उप-पैरा (C)(v) में उल्लिखित किसी भी मद पर चर्चा किए बिना, स्वतंत्र व्यय करने के इरादे के बारे में सूचित करता है:-

(v) व्यय करने वाले संगठन का कोई सदस्य प्रभावित उम्मीदवार के कैम्पेन के लिए स्वयंसेवी व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है या उसके लिए काम करता है, जब तक कि स्वयंसेवक या कैम्पेन कार्यकर्ता, व्ययकर्ता-संगठन की राजनीतिक कार्रवाई समिति की गतिविधियों में भी शामिल न हो या व्ययकर्ता-संगठन की ओर से भुगतान न करता हो, या इस धारा के उप-अनुच्छेद (C)(vi) में वर्णित क्षमताओं में से किसी एक में प्रभावित उम्मीदवार के कैम्पेन में सेवा कर रहा हो या कर चुका हो:-

(vi) व्यय राजनीतिक दल के नेताओं या उनके एजेंटों के अवांछित अनुरोध के जवाब में किया गया था कि समिति उम्मीदवार का "समर्थन" करे या उम्मीदवार से संबंधित व्यय करे;

(vii) व्यय से उम्मीदवार के मूल्यांकनों को तैयार करने या मतदाताओं तक प्रचार-प्रसार करने या राजनीतिक सर्वेक्षण करने की लागत का वित्तपोषण होता हो; या

(viii) व्ययकर्ता किसी ऐसे राजनीतिक सलाहकार या जनमत सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त करता है या उसके साथ अनुबंध में है जिसने पिछले वर्षों में किसी उम्मीदवार को सेवाएं प्रदान की हैं।

(2) "शिक्षा मण्डल कार्यालय" से तात्पर्य Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के शिक्षा मण्डल के सदस्य के कार्यालय से है।

(3) "उम्मीदवार या समिति एजेंट" से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसे उम्मीदवार की ओर से व्यय करने या व्यय करने के लिए अधिकृत करने का स्पष्ट या निहित अधिकार प्राप्त हो। ऐसी खंडन-

योग्य धारणा मौजूद होगी कि निम्नलिखित व्यक्तियों के पास यह अधिकार है: उम्मीदवार-नियंत्रित समिति के वर्तमान या पूर्व अधिकारी, कैम्पेन के कर्मचारी, कैम्पेन से मुआवजा या धन-वापसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे कैम्पेन संगठन के भीतर ऐसे पद पर रखा गया है जहां यह यथोचित रूप से प्रतीत होता है कि कैम्पेन संबंधी गतिविधियों के सामान्य क्रम में वह व्यय को अधिकृत कर सकता है। किसी उम्मीदवार का एजेंट ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी उम्मीदवार के कैम्पेन में सलाहकार, निर्णय लेने वाली या कार्यनीतिक भूमिका में सेवा कर रहा है या कर चुका है, चाहे उसे मुआवजा मिले या न मिले, जहां उस व्यक्ति के कर्तव्य और/या कार्य उम्मीदवार की कैम्पेन कार्यनीति, योजनाओं या जरूरतों के प्रत्यक्ष ज्ञान को दर्शाते हैं या इनकी आवश्यकता होती है।

(4) "चुनाव" से तात्पर्य किसी भी प्राथमिक नामांकन चुनाव, आम चुनाव, विशेष चुनाव और वापस बुलाने वाले चुनाव से है।

(5) "स्वतंत्र व्यय" से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे संचार के संबंध में किए गए व्यय से है जो व्यक्ति रूप से किसी स्पष्ट रूप से पहचाने गए उम्मीदवार के चुनाव या हार की वकालत करता है; या, समग्र रूप से और संदर्भ में, किसी चुनाव में किसी विशेष परिणाम का स्पष्ट रूप से आग्रह करता है, लेकिन जो प्रभावित उम्मीदवार या समिति को या उसके आदेश पर नहीं किया जाता है।

(6) "ऋण" का अर्थ निम्नलिखित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए इसे निम्नलिखित तरीके से माना जाएगा:-

(A) ऋण को ऋण देने वाले और ऋण के गारंटर का अंशदान माना जाएगा और यह इस धारा की अंशदान की सीमाओं के अधीन होगा।

(B) किसी वाणिज्यिक ऋण देने वाली संस्था द्वारा व्यवसाय के नियमित क्रम में आम जनता के सदस्यों के लिए उपलब्ध समान शर्तों पर किसी उम्मीदवार को दिए गए ऋण की आय, जो प्रत्याभूत या गारंटीकृत हो, इस धारा की अंशदान सीमाओं के अर्थ में अंशदान नहीं मानी जाएगी।

(C) 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऋण का विस्तार (उपखंड (6)(B) में संदर्भित ऋणों के सिवाए) इस अनुच्छेद की अंशदान सीमाओं के अधीन है।

(7) "सदस्य संचार" से तात्पर्य सरकारी संहिता धारा 85312 के अनुसार किए गए भुगतानों से है।

(A) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, उम्मीदवारों द्वारा निर्देशित सदस्य संचार के लिए किए गए भुगतान, नियमित रूप से प्रकाशित न्यूज़लेटर या पत्रिका के लिए किए गए भुगतानों के सिवाए, जो केवल व्यक्तिगत सदस्यों तक सीमित हैं और नियमित न्यूज़लेटर या पत्रिका के प्रकाशन के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले भुगतानों की राशि से अधिक नहीं हैं, इस अनुच्छेद में निहित अंशदान सीमा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए उस उम्मीदवार या उम्मीदवार नियंत्रित समिति को अंशदान माने जाएंगे।

(B) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, ऐसे सदस्य संचार जो किसी उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के एजेंट द्वारा निर्देशित नहीं हैं, उम्मीदवार को अंशदान नहीं माने जाएंगे।

(C) ऐसे सदस्य संचार जो किसी उम्मीदवार, उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, या उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के एजेंट द्वारा निर्देशित नहीं हैं और नियमित रूप से प्रकाशित न्यूज़लेटर या पत्रिका के लिए भुगतान नहीं हैं जो केवल व्यक्तिगत सदस्यों तक सीमित हैं और नियमित न्यूज़लेटर या पत्रिका प्रकाशित करने के लिए नियमित रूप से किए गए भुगतानों की राशि से अधिक नहीं हैं, को व्यय माना जाता है और इन्हें उपधारा (8) के अनुसार रिपोर्ट करना आवश्यक है।

(8) "गैर-उम्मीदवार व्यय" से तात्पर्य स्वतंत्र व्यय और/या सदस्य संचार के ऐसे किसी भी संयोजन से है जो किसी उम्मीदवार द्वारा निर्देशित नहीं है।

(b) कैम्पेन में अंशदान संबंधी सीमाएँ-

(1) शिक्षा मण्डल के लिए कोई भी इच्छित उम्मीदवार, और ऐसे उम्मीदवार की ओर से कार्य करने वाली कोई भी समिति, ऐसे पद के लिए किसी भी चुनाव में उपयोग के लिए कोई भी अंशदान न तो मांगेगी और न ही स्वीकार करेगी, और न ही मंगवाएगी या स्वीकार करवाएगी, जब तक कि ऐसा उम्मीदवार शिक्षा मण्डल के किसी विशिष्ट पद के लिए उम्मीदवारी के संबंध में अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल न कर दे। वह घोषणा शहर आचारसंहिता आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शहर आचारसंहिता आयोग के यहाँ दाखिल की जाएगी। चुनाव हो जाने के बाद, घोषणा अमान्य हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी एक चुनाव के लिए एक ही समय में फाइल में एक से अधिक घोषणापत्र नहीं हो सकते हैं। बहरहाल, कोई उम्मीदवार एक घोषणा को रद्द करने वाला फॉर्म दाखिल कर सकता है और उसके बाद एक नई घोषणा दाखिल कर सकता है।

(2) उम्मीदवार और उम्मीदवार की नियंत्रित समितियों के कोषाध्यक्ष शहर आचारसंहिता आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शहर आचारसंहिता आयोग के यहाँ शपथपूर्वक एक वक्तव्य दाखिल करेंगे कि उम्मीदवार और कोषाध्यक्षों ने धारा 803 को पढ़ और समझ लिया है। यह वक्तव्य अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल करने के साथ ही दाखिल किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार और उसकी नियंत्रित समिति को एक ही चुनाव के लिए कुल मिलाकर \$1,000 से अधिक का अंशदान नहीं देगा। शिक्षा मण्डल का कोई उम्मीदवार को एक ही चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति से \$1,000 से अधिक का कोई भी अंशदान स्वीकार नहीं करेगा। इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार द्वारा शिक्षा मण्डल के लिए अपनी उम्मीदवारी हेतु अपने निजी कोष से अंशदान की जाने वाली राशि को सीमित करना हो।

(4) [निरस्त किया गया]

(5) कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए एकल चुनाव के संबंध में ऐसा कोई अंशदान नहीं करेगा, जिससे उस व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अंशदानों की कुल राशि उस चुनाव में मतपत्र पर दिखाई देने वाले शिक्षा मण्डल के पदों की संख्या के \$1,000 के गुणनफल के बराबर राशि से अधिक हो जाए, लेकिन उस चुनाव में शिक्षा मण्डल के सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में किसी भी स्थिति में \$2,000 से कम न हो; बशर्ते कि, इस उपप्रभाग (5) द्वारा किसी उम्मीदवार को अपने स्वयं के कैम्पेन के संबंध में अंशदान करने या व्यय की जाने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं होगी।

(6) कोई भी व्यक्ति \$1,000 से अधिक का ऋण नहीं देगा, और न ही कोई व्यक्ति या उम्मीदवार शिक्षा मण्डल के चुनाव के संबंध में उपयोग के लिए इतनी राशि से अधिक का ऋण मांगेगा या स्वीकार करेगा। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए चुनाव के संबंध में 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कोई ऋण नहीं देगा, और न ही कोई व्यक्ति या उम्मीदवार ऐसा कोई ऋण मांगेगा या स्वीकार करेगा। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समितियों को दिए गए ऋणों की गणना उम्मीदवार पर लागू अंशदान सीमाओं के प्रति की जाएगी। किसी उम्मीदवार को व्यवसाय के नियमित क्रम में किसी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय ऋण देने वाली संस्था से किसी भी राशि का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जब तक कि ऋण सजनीतिक उद्देश्यों के लिए न लिया गया हो। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की नियंत्रित समिति को दिया जाने वाला प्रत्येक ऋण लिखित समझौते द्वारा होगा, जिसे उम्मीदवार के या समिति के उस कैम्पेन विवरण के साथ दाखिल किया जाएगा, जिसमें पहली बार ऋण की सूचना दी जाती है। यह उपप्रभाग (6)

उम्मीदवार द्वारा अपने स्वयं के कैम्पेन के लिए, लिए गए ऋणों की राशि या अवधि को सीमित नहीं करेगा।

(7) इस धारा के अनुसार मांगे गए या स्वीकार किए गए किसी भी अंशदान का उपयोग केवल उम्मीदवार द्वारा अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा में उल्लेख किए गए पद के लिए उम्मीदवारी के संबंध में ही किया जाएगा। इस धारा के तहत किसी एक व्यक्ति के लिए मांगे गए या स्वीकार किए गए अंशदानों का उपयोग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए नहीं किया जाएगा जो शिक्षा मण्डल के किसी अन्य पद के लिए चुनाव लड़ रहा हो या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के किसी भी मतपत्र प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति, या शिक्षा मण्डल का निर्वाचित सदस्य, अंशदान की गई राशि का उपयोग, पद के लिए चुनाव लड़ रहे किसी भी अन्य उम्मीदवार को या पद के लिए किसी उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने वाली किसी समिति के लिए नहीं करेगा। बशर्ते, बहुरहाल किसी उम्मीदवार को अपने निजी धन से अपनी स्वयं की उम्मीदवारी, किसी अन्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के किसी भी मतपत्र प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में अंशदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

(c) **सीमाओं का समायोजन।** प्रत्येक चार वर्ष में, शहर आचारनीति आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं को Los Angeles-Long Beach महानगरीय सांख्यिकी क्षेत्र के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। पहली समीक्षा वर्ष कैलेंडर वर्ष 2011 के अंत में शुरू होगी। यदि किसी भी समीक्षा अवधि के दौरान अंशदान सीमाओं को समायोजित नहीं किया जाता है, तो बाद की चार साल की समीक्षा अवधि में सीमाओं को समायोजित किया जा सकता है, जो पिछले समायोजन के बाद से CPI में हुई कुल वृद्धि तक हो सकता है। अंशदान सीमाओं में कोई भी परिवर्तन किसी भी ऐसे आगामी चुनाव के लिए प्रभावी होगा जिसके लिए उपधारा (g) में किए गए प्रावधान के अनुसार धन उगाहने की अवधि अभी तक शुरू नहीं हुई है। शहर आचारनीति आयोग प्रत्येक समीक्षा के बाद, 1 मार्च तक अपने निष्कर्षों सहित एक रिपोर्ट परिषद को भेजेगा। शहर आचारनीति आयोग द्वारा परिषद को अपनी रिपोर्ट भेजने के 60 दिनों के भीतर, परिषद इस मामले के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई करेगी और रिपोर्ट को अनुमोदित करने या अस्वीकार करने के लिए कार्रवाई करेगी। अगर परिषद 60 दिन की अवधि के भीतर अस्वीकृत नहीं कर पाती है, तो रिपोर्ट को अनुमोदित करने या वीटो के लिए मेयर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और मेयर के वीटो को रद्द करने के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मेयर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या यदि मेयर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, या यदि मेयर के वीटो को रद्द करते हुए परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो रिपोर्ट में उल्लेख की गई राशि इस धारा में उल्लिखित सभी दंडों और उपायों के अधीन, इस धारा पर लागू अंशदान सीमाओं के रूप में कानून का बल रखेगी।

(d) **नकद अंशदान और गुमनाम अंशदान।** कोई भी व्यक्ति \$25 से अधिक का नकद अंशदान नहीं देगा, और न ही कोई उम्मीदवार या समिति इतनी राशि से अधिक का नकद अंशदान मांगेगी या स्वीकार करेगी। किसी उम्मीदवार या समिति को एक ही चुनाव के संबंध में कुल मिलाकर \$200 से अधिक का गुमनाम अंशदान उस उम्मीदवार या समिति द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा जिसके लिए ऐसा अंशदान दिया गया था, लेकिन इसके बजाए, यह अतिरिक्त राशि तुरंत शहर कोषाध्यक्ष को शहर के सामान्य कोष में जमा करने के लिए दे दी जाएगी।

(e) **कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाता।** शिक्षा मण्डल के किसी पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने वाली प्रत्येक समिति द्वारा एक से अधिक कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाता स्थापित नहीं किया जाएगा। यह खाता Los Angeles शहर में स्थित किसी बैंक या वचत एवं ऋण संस्था के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। ऐसा खाता खोलने पर, उम्मीदवार को कैम्पेन बैंक खाता खोलने के दस दिनों के भीतर शहर आचारनीति आयोग के यहाँ बैंक या वचत एवं ऋण संस्था का नाम और खाता संख्या दाखिल करनी होगी। ऐसे खाते से धनराशि का वितरण केवल उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष के नामित एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित चेकों के माध्यम से ही किया जाएगा। उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष

या कोषाध्यक्ष का नामित एजेंट शिक्षा मण्डल के चुनाव के संबंध में प्राप्त सभी अंशदानों को कैम्पेन चेकिंग खाते में जमा कर देगा। उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का नामित एजेंट शिक्षा मण्डल के चुनाव के लिए सारे कैम्पेन व्यय का भुगतान इस कैम्पेन चेकिंग खाते के धन से करेगा।

यदि किसी उम्मीदवार के पास अन्य नियंत्रित समितियाँ हैं और ऐसी समितियों के चेकिंग खाते हैं, तो उम्मीदवार को इन समितियों और बैंकों या बचत एवं ऋण संस्थानों के नाम और पते तथा ऐसे किसी भी खाते के खाता संख्या की लिखित सूचना शहर आचारनीति आयोग को देनी होगी। किसी भी उम्मीदवार को अंशदान मांगने और प्राप्त करने के इरादे की घोषणा दाखिल करने के साथ ही शहर आचारनीति आयोग को इन समितियों, बैंकों या बचत एवं ऋण संस्थानों और खाता संख्याओं के बारे में सूचित करना होगा। यदि इसके बाद समितियाँ गठित की जाती हैं या खाते खोले जाते हैं, तो उम्मीदवार को शहर आचारनीति आयोग के कार्यालय के खुलने के दिन के अगले नियमित कार्यदिवस पर शहर आचारनीति आयोग को सूचित करना होगा। किसी भी प्रकार का अंशदान उम्मीदवार या किसी भी अन्य व्यक्ति के निजी धन के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

इस उपधारा में बचत खातों या जमरशि के प्रमाणपत्र स्थापित करने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, बशर्ते कि उनसे कोई कैम्पेन व्यय न किया जाए।

(f) कोषाध्यक्ष। शिक्षा मण्डल के चुनाव के लिए प्रचार समितियों वाले उम्मीदवार को प्रत्येक समिति के लिए एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करना होगा। कोषाध्यक्ष या उसके नामित एजेंटों की अनुमति के बिना किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से कोई व्यय नहीं किया जाएगा। कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में किसी समिति द्वारा या उसकी ओर से कोई अंशदान या व्यय स्वीकार नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे भुगतानों को अनुमोदित और अधिकृत करें तथा ऐसे प्राधिकरणों, विस्तृत खातों, रिकॉर्डों, बिलों और रसीदों को सुरक्षित रखें।

(g) उम्मीदवारों और कोषाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण। शिक्षा मण्डल के प्रत्येक उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार की नियंत्रित समिति के प्रत्येक कोषाध्यक्ष को उस चुनाव से पहले शहर आचारनीति आयोग द्वारा संचालित या प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा जिसमें उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर दिखाई देगा।

(h) जवाबदेही। कैम्पेन संबंधी विवरण तैयार करने के लिए उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष को ऐसे विस्तृत खाते, रिकॉर्ड, बिल और रसीदें बनाई रखनी होंगी जो आवश्यक हों। उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष, 1974 के यथासंशोधित राजनीतिक सुधार अधिनियम में उल्लेख की गई अवधियों के लिए विस्तृत खाते, रिकॉर्ड, बिल और रसीदें सुरक्षित रखेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार और समिति, इस धारा को लागू करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी लोक अधिकारी को मांग किए जाने पर, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित प्रत्येक समिति के जाँच और वित्तीय खातों का विवरण और ऐसे विवरणों का समर्थन करने वाले सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगी।

(i) मामूली नकदी निधि। उपधारा (e) के होते हुए भी, एक उम्मीदवार, कैम्पेन कोषाध्यक्ष और कैम्पेन अंशदान चेकिंग खाते पर चेक जारी करने के लिए अधिकृत अन्य नामित एजेंट उम्मीदवार या चेकिंग खाता स्थापित करने वाली समिति को प्रति सप्ताह \$50 से कम की राशि का भुगतान कर सकते हैं, जिसका उपयोग उम्मीदवार या समिति द्वारा मामूली नकदी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(j) कल्पित नाम अंशदान। किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, उस नाम के सिवाए किसी अन्य नाम से कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा जिसके द्वारा उनकी कानूनी उद्देश्यों के लिए पहचान की जाती है, न ही किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नाम से कोई अंशदान दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी चीज या उससे प्राप्त किसी भी चीज का अपने नाम से इस शर्त पर अंशदान नहीं करेगा कि उसका उपयोग अंशदान के रूप में किया जाए। यदि किसी उम्मीदवार या समिति के कोषाध्यक्ष को पता चलता है कि इस उपधारा के उल्लंघन में कोई अंशदान प्राप्त हुआ है, तो उम्मीदवार या कोषाध्यक्ष को इस उपधारा के उल्लंघन में प्राप्त राशि तुरंत शहर कोषाध्यक्ष को शहर के सामान्य कोष में जमा करने के लिए देनी होगी।

(k) **कैम्पेन व्यय - उम्मीदवार या समिति द्वारा अनियंत्रित।** ऐसे व्यक्ति या संगठन जो किसी उम्मीदवार या समिति के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन जो किसी उम्मीदवार या समिति के पक्ष या विपक्ष में स्वतंत्र व्यय करते हैं, उन्हें प्रकाशित, प्रदर्शित या प्रसारित किसी भी सामग्री पर स्पष्ट रूप से यह इंगित करना होगा कि यह किसी उम्मीदवार या किसी उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति द्वारा अधिकृत नहीं था।

(l) **वापस बुलाने संबंधी याचिका।** यदि किसी को वापस बुलाने संबंधी यानी रिकॉल के लिए याचिका दाखिल की जाती है, तो याचिका दाखिल करने वाली समिति या व्यक्ति उसी कैम्पेन प्रकटीकरण प्रावधानों के अधीन होंगे जो शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों पर लागू होते हैं।

(m) **माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता - रिकॉर्डों का प्रकटीकरण आवश्यक है।** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी उम्मीदवार या समिति को शिक्षा मण्डल के पद के लिए कैम्पेन के संबंध में उपयोग हेतु माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है, वह जान-बूझकर शहर आचारनीति आयोग या इस धारा को लागू करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को उम्मीदवार या समिति द्वारा ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के भुगतान में किए गए किसी भी व्यय का विवरण और ऐसे विवरणों का समर्थन करने वाले रिकॉर्डों का खुलासा करने या इन्हें प्रकट करने से इनकार नहीं करेगा।

(n) **भुगतानों का समूहीकरण।** इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं के प्रयोजनों के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को समूहबद्ध किया जाएगा और इस धारा में निहित अंशदान सीमाओं और तब रिपोर्टिंग प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा, यदि नीचे सूचीबद्ध परिस्थितियों में से कोई भी लागू होती हो:-

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा जो उसके अंशदान या व्यय गतिविधि को नियंत्रित करता है:-

(2) सरकारी संहिता धारा 82048.7 में परिभाषित प्रायोजित समिति से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को उसके प्रायोजक संगठन से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा:-

(3) किसी संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसी अन्य संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों के बहुमत में समान व्यक्ति हों:-

(4) किसी संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसी अन्य संस्था से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें अधिकारी समान हों या जिसके साथ वह अधिकारियों का बहुमत साझा करती हो। इस उपप्रभाग के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केवल सदस्य के रूप में कार्य करता है:-

(5) किसी निगम या सीमित देयता कंपनी से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे अन्य निगम या सीमित देयता कंपनी से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसमें समान बहुसंख्यक शेयरधारक और/या सदस्य हो या जो उस निगम या सीमित देयता कंपनी में मतदान अधिकारों का बहुमत रखती हो:-

(6) किसी निगम से प्राप्त अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे मूल या सहायक निगम से प्राप्त अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, बशर्ते कि कम से कम एक निगम का सार्वजनिक रूप से कारोबार न किया जाता हो:-

(7) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे निगम, सीमित देयता कंपनी, फर्म, संयुक्त उद्यम, सिंडिकेट, व्यावसायिक ट्रस्ट, कंपनी या अन्य व्यावसायिक इकाई द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा, जिसका वर्णन नीचे उपप्रभाग (8) या (9) में

नहीं किया गया है, जिसमें व्यक्ति 50% या उससे अधिक का निवेश रखता है या मतदान अधिकारों का बहुमत रखता है;

(8) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय को उस व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी एकल स्वामित्व द्वारा किए गए अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा; या

(9) किसी सामान्य साझेदार के अंशदान और/या व्यय को किसी भी ऐसे सामान्य या सीमित साझेदारी के अंशदान और/या व्यय के साथ समूहबद्ध किया जाएगा जिसमें सामान्य साझेदार का 50% या उससे अधिक का निवेश है या जिसमें सामान्य साझेदार के पास मतदान अधिकारों का बहुमत है।

(o) पारिवारिक अंशदान। पति और पत्नी द्वारा किए गए अंशदान को अलग-अलग अंशदान माना जाएगा। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अंशदान को उनके माता-पिता द्वारा किए गए अंशदान के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक माता/पिता को अनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा (प्रत्येक माता/पिता को आधा या कुल सशि एक अभिरक्षी माता/पिता को)।

(p) अंशदानों की वापसी। यदि अंशदान की गई सशि का लेन-देन नहीं किया जाता है, उसे जमा नहीं किया जाता है, या उसका उपयोग नहीं किया जाता है, और उसे प्राप्त के 14 दिनों के भीतर दाता को वापस नहीं किया जाता है, तो अंशदान को प्राप्त नहीं माना जाएगा।

(q) इस पर प्रतिबंध कि अंशदान कब प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार या उस उम्मीदवार की नियंत्रित समिति को उस चुनाव की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले किसी भी प्रकार का अंशदान मांगने या स्वीकार करने या मंगवाने या स्वीकार करवाने की अनुमति नहीं है, जिसमें उम्मीदवार पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार या उसकी नियंत्रित समिति को चुनाव की तारीख के नौ महीने बाद किसी भी व्यक्ति से अपनी कैम्पेन समिति के लिए अंशदान मांगने या प्राप्त करने या मंगवाने या प्राप्त करवाने की अनुमति नहीं है। शिक्षा मण्डल के उम्मीदवार या उसकी नियंत्रित समिति द्वारा, चुनाव के बाद मांगे गए या प्राप्त किए गए या मंगवाए गए या प्राप्त करवाए गए अंशदान का उपयोग कैम्पेन के ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा।

(r) कैम्पेन का प्रकीर्ण, रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड का रखरखाव।

(1) यथासंशोधित सरकारी संहिता धारा 81000 से शुरू होकर, सजनीतिक सुधार अधिनियम के अनुसार, दाखिल किए जाने के लिए आवश्यक कैम्पेन विवरणों के अतिरिक्त, शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों, उनकी नियंत्रित समितियों और इन उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करने के लिए मुख्य रूप से गठित समितियों को चुनाव से पहले शुरूवार को एक पूर्व-चुनाव विवरण दाखिल करना होगा। इस विवरण की अंतिम तारीख चुनाव से पहले वाला बुधवार होगी और इसमें उस दिन तक होने वाली गतिविधियों और भुगतानों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों, उनकी नियंत्रित समितियों और मुख्य रूप से इन उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों को मार्च में आयोजित होने वाले प्राथमिक नामांकन चुनाव के संबंध में निम्नानुसार कैम्पेन विवरण भी दाखिल करने होंगे:

(A) चुनाव से पहले के वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए 10 अक्टूबर तक विवरण दाखिल किया जाएगा।

(B) चुनाव से पहले के वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, चुनाव के वर्ष के 10 जनवरी तक 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए एक विवरण दाखिल किया जाएगा।

(2) शिक्षा मण्डल के किसी उम्मीदवार के कैम्पेन चेकिंग खाते में कोई अंशदान तब तक जमा नहीं किया जाएगा जब तक अंशदान प्राप्तकर्ता के रिकॉर्डों में अंशदानकर्ता का नाम, पता, व्यवसाय और नियोजन दर्ज न हो।

(3) प्रत्येक उम्मीदवार, और ऐसी प्रत्येक समिति जो किसी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में स्वतंत्र व्यय या सदस्य संचार करती है, जो 200 से अधिक समान प्रचार सामग्री डाक से भेजती है या वितरित करती है, डाक या अन्य साहित्य की एक प्रति शहर आचारनीति आयोग को उसी समय भेजेगी जब डाक या अन्य प्रचार सामग्री डाकघर को दी जाती है या अन्यथा वितरित की जाती है। कैम्पेन के दौरान, आयोग इस प्रचार सामग्री के लिए केवल एक भंडार के रूप में कार्य करेगा और प्रचार सामग्री पर कोई निर्णय नहीं लेगा या टिप्पणी नहीं करेगा।

(4) शिक्षा मण्डल के लिए किसी भी उम्मीदवार और उम्मीदवार की नियंत्रित समिति, जिन्हें शहर आचारनीति आयोग के यहाँ कैम्पेन विवरण दाखिल करना आवश्यक है, उम्मीदवार और/या समिति द्वारा शिक्षा मण्डल कार्यालय के चुनाव के संबंध में \$25,000 या उससे अधिक का अंशदान प्राप्त करने या व्यय करने के बाद, आयोग की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रणाली (EFS) का उपयोग करके उन कैम्पेन विवरणों को ऑनलाइन दाखिल करेंगे।

(A) जब किसी उम्मीदवार या समिति को ऑनलाइन कैम्पेन विवरण दाखिल करने की आवश्यकता होती है, तब वह उम्मीदवार या समिति तब तक ऑनलाइन विवरण दाखिल करना जारी रखेगी जब तक कि समिति आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी समितियाँ और अन्य व्यक्ति जिन्हें इस उपधारा के तहत ऑनलाइन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं।

(B) ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ऑनलाइन दाखिल करना आवश्यक है, वह California राजनीतिक सुधार अधिनियम और इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक कैम्पेन विवरण की एक कागजी प्रति दाखिल करना तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उस व्यक्ति को शहर आचारनीति आयोग के यहाँ कैम्पेन विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेखापरीक्षा और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए कागजी प्रति, मूल कैम्पेन विवरण बनी रहेगी।

(C) California राजनीतिक सुधार अधिनियम या इस अनुच्छेद के अनुसार कागजी प्रति दाखिल करने में देरी के लिए लगाए जा सकने वाले देरी से दाखिल करने के किसी भी शुल्क के अतिरिक्त, इस उपधारा की ऑनलाइन दाखिल करने की आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्रति दाखिल करने में देरी करने के लिए, अंतिम तारीख के बाद दाखिल करने में देरी का प्रति दिन \$25 का अतिरिक्त देरी दंड लगाया जाएगा।

(D) ऑनलाइन दाखिल किए गए कैम्पेन विवरण में निहित जानकारी बही होगी जो उसी विवरण की कागजी प्रति में निहित है जो शहर आचारनीति आयोग के यहाँ दाखिल की जाती है।

(5) स्वतंत्र व्यय और गैर-निर्देशित सदस्य संचार के लिए भुगतान का खुलासा-

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसमें कोई समिति भी शामिल है, जो शिक्षा मण्डल के किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में \$1,000 या उससे अधिक का स्वतंत्र व्यय करता है या वहन करता है, या इस धारा द्वारा परिभाषित सदस्य संचार के लिए एक या अधिक भुगतान करता है, जिसका कुल योग शिक्षा मण्डल के किसी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में \$1,000 या उससे अधिक है, तो उसे प्रत्येक बार एक या अधिक ऐसे भुगतान किए जाने पर, जो इस सीमा को पूरा करते हैं, 24 घंटे के भीतर प्रमाणित डाक, फैक्स या ईमेल द्वारा शहर आचारनीति आयोग को सूचित करना होगा।

(2) अधिसूचना में एक घोषणा होगी जिसमें व्यय द्वारा समर्थित या विरोध किए गए प्रत्येक उम्मीदवार, प्रत्येक उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में खर्च की गई सधि, क्या उम्मीदवार का समर्थन किया गया था या विरोध किया गया था, और इसका उल्लेख होगा कि व्यय उस उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्देशित नहीं था जिन्हें व्यय से लाभ हुआ था। यह घोषणा झूठी गवाही देने के दंड के अधीन की जाएगी और इस पर व्यय करने वाले व्यक्ति या अधिकारी तथा समूह के कोषाध्यक्ष

के हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त, भुगतान की तारीख और राशि, उस संचार के प्रकार का विवरण जिसके लिए भुगतान किया गया था या खर्च किया गया था, भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम और पता, और मेल या विज्ञापन की एक प्रति, या कॉल, प्रसारण या विज्ञापन की स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग की एक प्रति भी शहर आचारनीति आयोग को प्रदान की जाएगी। अधिसूचना में समिति द्वारा आयोग के भीतर दाखिल की गई पिछली कैम्पेन संबंधी खुलासा करने की अंतिम तारीख के बाद के दिन से या चालू कैलेंडर वर्ष के पहले दिन से, जो भी तारीख बाद में हो, प्राप्त \$100 या उससे अधिक के अंशदान का खुलासा भी शामिल होगा; हालांकि, प्राप्त अंशदानों, लेकिन Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के बाहर किसी भी अन्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित अंशदान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है। इस अधिसूचना में शिक्षा मण्डल के उम्मीदवारों या उनकी नियंत्रित समितियों को संबंधित व्यक्ति द्वारा चालू कैलेंडर वर्ष में दिए गए \$100 या उससे अधिक के अंशदान का खुलासा भी शामिल होगा।

(3) शहर आचारनीति आयोग के कर्मचारी प्रभावित रेस में सभी उम्मीदवारों को \$1,000 या उससे अधिक के स्वतंत्र व्यय और असमन्वित सदस्य संचार के भुगतान का नोटिस प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर फोन, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचित करेंगे। अधिसूचना में हस्ताक्षरित घोषणापत्र में दर्शाए गए व्यय के संबंध में समर्थित या विरोध किए गए उम्मीदवार का उल्लेख होगा और इसमें व्यय करने वाले व्यक्ति या समूह द्वारा प्रदान किए गए संचार की एक प्रति शामिल होगी।

(4) उपप्रभाग (1) में अपेक्षित अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, किसी संगठन द्वारा अपने नियमित रूप से प्रकाशित न्यूजलेटर या पत्रिका के लिए किए गए भुगतान, यदि उसका वितरण संगठन के सदस्यों, कर्मचारियों, शैक्षिकारकों, अन्य संबद्ध व्यक्तियों और प्रकाशन का अनुसंधान करने या खरीदने वालों तक सीमित हो, तो उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) कोई भी समिति, जिसमें ऐसी उम्मीदवार नियंत्रित समिति और स्वतंत्र व्यय समिति शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो 1,000 या उससे अधिक रिकॉर्ड किए गए टेलीफोन कॉल या समान सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक या फैक्स प्रसारण के किसी भी अन्य रूप के लिए भुगतान करती है या वहन करती है, या जो शिक्षा मण्डल कार्यालय के लिए किसी भी उम्मीदवार के समर्थन या विरोध में रेडियो या टेलीविजन विज्ञापन के लिए \$1,000 या उससे अधिक का व्यय करती या वहन करती है, तो वह प्रत्येक संचार के लिए उपयोग की गई स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग की एक प्रति कॉल, प्रसारण या विज्ञापन के पहली बार किए जाने या प्रसारित होने के 24 घंटे के भीतर आचारनीति आयोग को भेजेगी।

(f) **सत्यापन।** इस धारा के अंतर्गत दाखिल की गई सभी घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों पर दाखिलकर्ता द्वारा झूठी गवाही देने पर दंड के अधीन हस्ताक्षर किए जाएंगे और सत्यापन किया जाएगा। इस प्रावधान के अंतर्गत घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों पर हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवार और किसी भी व्यक्ति को इन सभी घोषणाओं, रिपोर्टों और विवरणों की विषयवस्तु को पढ़ना, जानना और समझना होगा।

(g) **शहर आचारनीति आयोग के कर्तव्य।** शहर आचारनीति आयोग इस धारा के प्रावधानों का प्रशासन करेगा। इस धारा की शर्तों के तहत अपेक्षित अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त, शहर आचारनीति आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा:

(1) शिक्षा मण्डल के पदों के लिए उम्मीदवारों और समितियों का समर्थन या विरोध करने वाले उम्मीदवारों और समितियों द्वारा दाखिल रिपोर्टों और विवरणों का ऑडिट और जांच करना, जैसा कि 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम, यथासंशोधित, और चार्टर के अनुच्छेद VII और इस धारा के तहत आवश्यक है। शहर आचारनीति आयोग इस धारा के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने के लिए जहां आवश्यक हो, जांचकर्ताओं को नियुक्त करेगा।

(2) चार्टर के अनुच्छेद VII के अनुसार, सरकारी संहिता की धारा 90002(c) के तहत इस धारा के प्रावधानों को लागू करना या लागू करवाना।

(3) इस धारा और लागू राज्य कानून के स्पष्ट उल्लंघनों की रिपोर्ट शहरी बकील या किसी अन्य उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी को करना।

(v) प्रवर्तन-

(1) **आपराधिक प्रवर्तन** - जो कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर या स्वेच्छा से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह अपराध का दोषी है। जो कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करवाता है, या जो इस धारा के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या उसे उकसाता है, वह इस धारा के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। इस धारा के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई उल्लंघन होने की तारीख से चार साल के भीतर शुरू करनी होगी। इस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दोषसिद्धि की तारीख से चार साल की अवधि तक लॉबिस्ट या शहर के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय सजा सुनाने समय विशेष रूप से यह निर्धारित न कर दे कि यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी द्वारा दंड स्वीकार करने की याचिका को दोषसिद्धि माना जाएगा।

(2) नागरिक प्रवर्तन-

(A) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर या लापरवाही से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह शहरी बकील, शहर आचारनीति आयोग या Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले की सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई सिविल कार्रवाई में प्रति उल्लंघन \$5,000 से कम की राशि या उस राशि के तीन गुना से अधिक राशि के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे व्यक्ति ठीक से रिपोर्ट करने में विफल रहा हो या गैरकानूनी रूप से अंशदान किया हो, दिया हो या प्राप्त किया हो।

(B) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जान-बूझकर या लापरवाही से इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कोई अंशदान करता है या प्राप्त करता है, या कोई व्यय करता है, तो वह शहरी बकील या शहर के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई सिविल कार्रवाई में अवैध अंशदान या व्यय की राशि की तीन गुना तक राशि के लिए उत्तरदायी होगा।

(C) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वे संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।

(D) शहरी बकील के सिवाए कोई भी व्यक्ति, इस उपधारा के अनुसार सिविल कार्रवाई दायर करने से पहले, कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, शहर आचारनीति आयोग हेतु, शहर आचारनीति आयोग के यहाँ एक लिखित अनुरोध दायर करेगा। अनुरोध में उन आधारों का विवरण होगा जिनसे यह माना जा सके कि मुकदमा दायर करने का कोई कारण मौजूद है। शहर आचारनीति आयोग अनुरोध प्राप्त होने के 40 दिनों के भीतर जवाब देगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या वह सिविल कार्रवाई दायर करने का इरादा रखता है। यदि शहर आचारनीति आयोग सहमति व्यक्त करता है और उसके बाद 40 दिनों के भीतर मुकदमा दायर करता है, तो कोई अन्य कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि शहर आचारनीति आयोग द्वारा दायर की गई कार्रवाई पूर्वाग्रह के बिना खारिज न कर दी जाए।

(E) इस उपधारा के तहत किसी भी उल्लंघन के संबंध में गुण-दोष के आधार पर एक से अधिक निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समान उल्लंघन या उल्लंघनों के लिए लाई गई कार्रवाइयों को मुकदमे के प्रयोजन के लिए दायर किए जाने के समय के क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों को तब खारिज कर दिया जाएगा जब किसी पूर्व में दायर कार्रवाई में फैसला सुनाया जा चुका हो या न्यायालय द्वारा समझौता अनुमोदित किया जा चुका हो। यदि वादी सावधानी और सद्भावना से कार्यवाही करने में विफल रहा है, तो न्यायालय किसी अन्य

कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लंबित कार्रवाई को खारिज कर सकता है। शहरी वकील या उसी उल्लंघन पर आधारित किसी अन्य कार्रवाई में किसी भी बादी द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर इस कार्रवाई को खारिज किया जा सकता है।

(F) इस उपधारा के अधीन देयता की राशि निर्धारित करने में, न्यायालय उल्लंघन की गंभीरता और प्रतिवादी के दोष की मात्रा को ध्यान में रख सकता है। यदि किसी कार्रवाई में प्रतिवादी या प्रतिवादियों के विरुद्ध निर्णय सुनाया जाता है, तो निजी बादी को बसूली गई राशि का 50% प्राप्त होगा। शेष 50% राशि शहर के सामान्य कोष में जमा कर दी जाएगी। यदि शहरी वकील या शहर आचारनीति आयोग द्वारा कोई कार्रवाई लाई जाती है, तो पूरी राशि सामान्य निधि में जमा कर दी जाएगी।

(G) इस धारा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोई भी सिविल कार्रवाई उल्लंघन होने की तारीख से चार साल से अधिक समय बाद दायर नहीं की जाएगी।

(H) Los Angeles एकीकृत स्कूल जिले के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसमें Los Angeles शहरी वकील शामिल है, इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने या इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा सहित के लिए मुकदमा कर सकता है। न्यायालय किसी एजेंसी के सिवाए किसी अन्य पक्ष को, जो इस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किसी भी सिविल कार्रवाई में बिजयी होता है, उसके मुकदमे की लागत, जिसमें वकील की उचित फीस भी शामिल है, प्रदान कर सकता है; बशर्ते कि Los Angeles शहर के विरुद्ध ऐसा कोई अवार्ड प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(w) चुनाव के परिणाम पर उल्लंघन का प्रभाव-

(1) यदि कोई उम्मीदवार इस धारा के किसी भी प्रावधान के आपराधिक उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या उल्लंघन का चुनाव के परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यदि न्यायालय को ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव मिलता है, तो:-

(A) यदि ऐसी दोषसिद्धि चुनाव की तारीख से पहले फाइनल हो जाती है, तो ऐसे उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की गिनती नहीं की जाएगी, और चुनाव उस रस में अन्य उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोटों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

(B) यदि ऐसी दोषसिद्धि चुनाव की तारीख के बाद फाइनल हो जाती है, और यदि ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था, तो ऐसा उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं करेगा, पद रिक्त माना जाएगा और उसे चार्टर में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार भरा जाएगा;

(C) यदि उम्मीदवार के पदभार ग्रहण करने के बाद ऐसी दोषसिद्धि फाइनल हो जाती है, तो उम्मीदवार को पद से हटा दिया जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा और उसे चार्टर में अन्यथा दिए गए प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा; और

(D) इस प्रकार दोषी ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी निर्वाचित शहर कार्यालय या शिक्षा मण्डल के सदस्य के पद को धारण करने के लिए अपात्र होगा।

(2) शहर क्लर्क किसी भी उम्मीदवार को नामांकन या चुनाव का कोई भी प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसके चुनाव-पूर्व कैम्पेन विवरण, जैसा कि 1974 के यथासंशोधित राजनीतिक सुधार अधिनियम द्वारा आवश्यक है, या यदि कोई कैम्पेन कथन आवश्यक नहीं है, तो सरकारी संहिता की धारा 84205 के तहत अनुमत लिखित घोषणा, 1974 के राजनीतिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रारूप में और निर्धारित स्थान पर दाखिल नहीं कर दी जाती।

(x) देरी से दाखिल करने पर जुर्माना। यदि कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किसी भी समय सीमा के बाद कोई मूल विवरण या रिपोर्ट दाखिल करता है, तो वह इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य दंड या उपचार के अतिरिक्त, विवरण या रिपोर्ट दाखिल होने तक समय सीमा के बाद प्रति दिन \$25 की राशि का भुगतान शहर आचारनीति आयोग को करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आयोग निष्पक्ष आधार पर यह निर्धारित करता है कि देर से दाखिल करना जान-बूझकर नहीं था और दायित्व को लागू करने से अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो दायित्व को लागू करना आयोग के लिए आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि यदि कोई विवरण या रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर दाखिल नहीं की जाती है तो किसी भी दायित्व को माफ नहीं किया जाएगा।

(y) पृथक्करणीयता। यदि इस धारा का कोई प्रावधान या भाग, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसका प्रयोग किसी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो इस धारा का शेष भाग या ऐसे प्रावधानों का उन व्यक्तियों या परिस्थितियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर प्रयोग, जिनके संबंध में इसे अमान्य घोषित किया गया है, प्रभावित नहीं होगा।

धारा 2. पृथक्करणीयता। अगर इस चार्टर संशोधन या इसके किसी भी भाग की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश या अनुप्रयोग को सक्षम न्यायक्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, तो चार्टर संशोधन की शेष धाराएं, उपधाराएं, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस चार्टर संशोधन के प्रावधान विच्छेदनीय हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता यह घोषणा करते हैं कि यदि इस चार्टर संशोधन की किसी भी धारा, उपधारा, खंड, वाक्य, वाक्यांश, भाग या अनुप्रयोग को असंवैधानिक या अमान्य घोषित न किया गया होता, तो वे इसकी सभी धाराओं, उपधाराओं, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों, भागों और अनुप्रयोगों को पारित कर देते।

मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार। आप मतदान करने के लिए पात्र हैं यदि आप:
 - ★ कैलिफोर्निया में रह रहे अमरीका के निवासी हैं
 - ★ कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
 - ★ वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
 - ★ वर्तमान में एक अपराध की सजा के लिए एक राज्य या संघीय जेल में अवधि की सजा नहीं काट रहे हैं
 - ★ आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो
2. यदि आप एक पंजीकृत मतदाता हैं, तो मतदान करने का अधिकार, चाहे ही आपका नाम सूची में नहीं है। आप अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।
3. मतदान करने का अधिकार यदि आप मतदान समाप्त हो जाने के बाद भी कतर में हों।
4. गुप्त मत देने का अधिकार किसी के द्वारा आपको परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतदान कैसे करना है।
5. यदि आपने कोई गलती कर दी है, तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार, यदि आपने पहले ही अपना मतपत्र डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते हैं:
मतदान केन्द्र में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना
अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान केन्द्र पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
एक अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।
6. अपना मतदान करने के लिए अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए।
7. अपना भरा हुआ डाक द्वारा-मतदान मतपत्र कैलिफोर्निया में किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।
8. अंग्रेज़ी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।
9. चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रिया देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।
10. किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित करने का अधिकार

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी भी अधिकारों से मना किया गया है, तो (800) 345-VOTE (8683) पर राजकीय सचिव की गुप्त एवं शुल्क मुक्त मतदाता हॉटलाइन पर कॉल करें।

 वेब पर www.sos.ca.gov

 फोन द्वारा (800) 345-VOTE (8683)

 ई-मेल द्वारा elections@sos.ca.gov

मतदाता अभिगम्यता जानकारी



अभिगम्यता और अन्य सहायक उपकरण
(800) 815-2666, विकल्प 4 (LA काउंटी हॉटलाइन)

LA काउंटी मतदान केंद्र व्हीलचेयर अभिगम्यता और/या कर्वसाइड मतदान प्रदान करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर आपको अपने मतदान के अनुभव में सहायता के लिए उपकरण मिल सकते हैं।



ऑडियो रिकॉर्डिंग (213) 978-0444

आपकी सहायता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ऑडियो उपकरण उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में शामिल विधेयकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग अंग्रेजी, अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी में उपलब्ध हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट clerk.lacity.gov/elections/multilingual-services पर और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
(323) 660-3880

Central Library
630 West 5th Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000

ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी का अनुरोध मतदाता हमारे कार्यालय से कर सकते हैं:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012



TTD फ़ोन नंबर (562) 462-2259

जिन मतदाताओं को सुनने में समस्या हो उनके लिए एक TTD फ़ोन नंबर प्रदान किया जाता है।



भाषा संबंधी सहायता (213) 978-0444

सिटी मतदान की सामग्रियों को अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी भाषा में भी प्रदान करता है।

आपका शहर। आपकी आवाज़। आपका पड़ोस परिषद!

क्या आप सड़क के गड्ढों के बारे में कुछ करना चाहते हैं? क्या आपके पास सामुदायिक सौंदर्यीकरण पहल के लिए कोई विचार है? क्या आप अपने समुदाय से जुड़ने के सार्थक तरीके खोज रहे हैं?

अपने पड़ोस परिषद में सक्रिय रूप से भाग लें!

पड़ोस परिषदें आपके समुदाय के लोगों से बनी होती हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं कि Los Angeles शहर आपके आस-पड़ोस की ज़रूरतों, चुनौतियों और उम्मीदों के प्रति उत्तरदायी हो। निर्वाचित स्वयंसेवी सलाहकार निकायों के रूप में, पड़ोस परिषदें **सिटी हॉल में आपकी आवाज़** के तौर पर कार्य करती हैं।

पड़ोस परिषदें Los Angeles शहर की सरकार में निम्नलिखित कार्य करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:

- शहर के नेताओं को सलाह देकर और स्थानीय मुद्दों पर आवाज़ उठाकर,
- सामुदायिक एवं पूंजीगत सुधार परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करके,
- शहर की सेवाओं जैसे सड़क और फुटपाथ की मरम्मत, सार्वजनिक सुरक्षा और कचरा संग्रहण आदि की निगरानी करके और उन पर सिफारिशें देकर,
- अपने समुदाय में कार्यक्रमों, परियोजनाओं और पहलों के लिए वित्तपोषण करके,
- और अधिक!

Los Angeles में 99 पड़ोस परिषदें हैं।

देश के सबसे बड़े जमीनी स्तर के नागरिक सहभागिता मॉडल के रूप में माना जाने वाला, इनमें से प्रत्येक परिषद पड़ोस में रहने वाले, काम करने वाले, अध्ययन करने वाले, पूजा करने वाले, किसी संपत्ति या व्यवसाय के मालिक या स्वयंसेवा करने वाले Los Angeles के हर एक निवासी की सेवा करता है।

आज ही जुड़ें

2027 में पड़ोस परिषद के चुनाव होंगे। Los Angeles के एक निवासी के रूप में, आप अपने पड़ोस परिषद में सीट के लिए चुनाव लड़कर और इस महत्वपूर्ण चुनाव में मतदाता बनकर एक सामुदायिक नेता बन सकते हैं।

अपने पड़ोस परिषद का पता लगाने और 2027 में होने वाले पड़ोस परिषद के चुनावों के बारे में जानने के लिए www.99NCs.com पर जाएं, या पड़ोस सशक्तिकरण विभाग से EmpowerLA@LACity.org या (213) 978-1551 पर संपर्क करें।



आपके मतदान विकल्प



डाक द्वारा मतदान

- डाक द्वारा वापसी
 - इसे चुनाव दिवस तक पोस्टमार्क किया जाना चाहिए और 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए
- ड्राप ऑफ
 - मतपत्र ड्रॉप बॉक्स की जगह पर
 - किसी LA काउंटी मतदान केंद्र पर

अपने डाक द्वारा मतदान लिफाफे के पीछे हस्ताक्षर करना ना भूलें!



मतदान केंद्र

- व्यक्तिगत रूप से मतदान करें
- अपना डाक द्वारा मतदान मतपत्र ड्राप ऑफ करें



मतदान केंद्र के कामकाजी घंटे और स्थानों को ढूँढने के लिए स्कैन करें

या locator.lavote.gov/locations/vc पर जाएँ

यहाँ स्कैन करें!

जल्दी मतदान करें!
मतदान केंद्र जितना जल्दी हो सके खुल जाते हैं
24 अक्टूबर 2026